Salient Features of Ninth Plan

1835. DR. ALLADI P. RAJKUMAR:
SHRI K.M. SAIFULLAH:
DR. Y. LAKSHMI PRASAD:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the draft Ninth Plan has been finalised;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) if not, the reasons for delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) Yes, Sir.

(b) The Ninth Five Year Plan (1997-2002) is based on the priorities envisaged in the Approach Paper to Ninth Plan and also the special emphasis on areas including the Special Action Plan (SAPs). The focus of SAPS are on (a) doubling of food production in 10 years; (b) expansion and improvement of social infrastructure; (c) expansion and improvement of physical infrastructure and financial services; (d) unveiling a National Water Policy and (e) making India a global Information Technology power.

The Ninth Five Year Plan envisages an average growth rate of 6.5 per cent per annum in Gross Domestic Product (GDP). An average growth rate of around 7 per cent needs to be realised in the remaining three years to achieve the average GDP target growth rate of 6.5 per cent during the Ninth Plan period. The Ninth Plan envisages a total Public Sector Outlay of Rs. 859, 200 crores which includes a Gross Budgetary Support of Rs. 374,000 crores.

(c) Does not arise.

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार

1836. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों का वर्ष-वार प्रतिशत क्या है और गरीबी रेखा की सीमाएं क्या हैं;

(ख) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के उत्थान के लिए समय-समय पर आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या इन योजनाओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए; और

(घ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) योजना आयोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा करवाये गये पंचवार्षिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से लगाता है। पिछला ऐसा सर्वेक्षण 1993-94 में करवाया गया था। इसलिये पिछले पांच वर्षों से गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत के अनुमान उपलब्ध नहीं है। 50 वें दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित, 1993-94 के लिये उपलब्ध, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1993-94 में 35.97 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही थी। यद्यपि गरीबी के प्रभाव क्षेत्र का मापन व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का एक मोटा-अनुमान, औसत परिवार आकार के जरिए लगा पाना संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के परिवारों का आकार 5.458 तथा शहरी क्षेत्रों में 5.386 मानते हुये, जैसा कि एनएसएस के 1993-94 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से विदित हुआ था, व्यक्तियों का उपर्युक्त प्रतिशत परिवारों के 31.5 प्रतिशत के सदृश है। वर्ष 1993-94 एवं 1996-97 के लिये राज्यवार गरीबी की रेखाए क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दी गयी हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) से (घ) देश में गरीबी के प्रभाव क्षेत्र में, 1977—78 के 51.32 प्रतिशत के मुकाबले 1983 में 44.48 प्रतिशत तक गिरावट आयी तथा 1993-94 में यह और अधिक गिरकर 35.97 प्रतिशत हो गया 1977-78 एवं 1993-94 के मध्य के इन 16 वर्षों में, गरीबी में 15.35 प्रतिशत की यह गिरावट, अधिकांशतः, सामान्य विकास प्रक्रिया एवं गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों की आय में हुई वृद्धि के कारण हुई। इन कार्यक्रमों की क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से, इनकी सतत् समीक्षा की जाती है। नौवीं योजना में, एकीकृत ग्रमीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) के स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम), एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डवकरा), ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे हुये टूलकिट्स की आपूर्ति (सिट्रा) एवं गंगा कल्याण योजना (जीकेवाई) की मौजूदा उप-स्कीमों का एक ही स्व-रोजगार कार्यक्रम में एकीकरण करके एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। आईआरडीपी के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी एप्रोच से दल अथवा समूह एप्रोच की ओर नीतिगत अन्तरण भी किया जायेगा। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, स्वयं सेवी समूह (एसएचजी) गठित किये जायेंगे। जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के माध्यम से लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार ग्रामीण आधार संरचना के सृजन तक सीमित रहेगी। ब्लॉक और जिला स्तर पर रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस)। एकमात्र मजदूरी-रोजगार कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसे गरीब परिवारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, का नौवीं योजना में विस्तार किया जाएगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों तथा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के बीच एक वृहत एकीकरण लाने के प्रयास किए जाएंगे. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ग्राम पंचायतों की ओर अधिक भागीदारी के साथ क्रियान्वित किए जाएंगे।

विवरण—I

नई सरकारी पद्धति के अनुसार गरीबी रेखाएं—1993-94

(रु० मासिक प्रति व्यक्ति)

	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1.	आंध्र प्रदेश	163.02	278.14
2.	अरूणाचल प्रदेश	*	*
3.	असम	232.05	212.42
4.	बिहार	212.16	238.49
5.	गोआ	194.94	328.56
6.	गुजरात	202.11	297.22
7.	हरियाणा	233.79	258.23
8.	हिमाचल प्रदेश	233.79	253.61
9.	जम्मू व कश्मीर	*	*
10.	कर्नाटक	186.63	302.89
11.	केरल	243.84	280.54
12.	मध्य प्रदेश	193.10	317.16
13.	महाराष्ट्र	194.94	328.56
14.	मणिपुर	*	*

	राज्य	ग्रामीण	शहरी
15.	मेघालय	*	*
16.	मिजोरम	*	*
17.	नागालैण्ड	*	*
18.	उड़ीसा	194.03	298.22
19.	पंजाब	233.79	253.61
20.	राजस्थान	215.89	280.85
21.	सिक्किम	*	*
22.	तमिलनाडु	196.53	296.63
23.	त्रिपुरा	*	*
24.	उत्तर प्रदेश	213.01	258.65
25.	पश्चिम बंगाल	220.74	247.53
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	*	*
27.	चडीगढ़	*	*
28.	दादर एवं नगर हवेली	194.94	328.56
29.	दमन और दीव	*	*
30.	दिल्ली	233.79	309.48
31.	लक्षद्वीप	*	*
32.	पांडिचेरी	*	*
	All India	205.84	281.35

* विशेष दल पद्धति में, इन राज्यों के लिए गरीबी अनुपात अलग से परिकलित किए गए हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से अपनाएं गए हैं, ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

1. असम के गरीबी अनुपातें का प्रयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए किया जाता है।
2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया जाता है।
3. केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया जाता है।
4. गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दमन और दीव के लिए किया जाता है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चण्डीगढ़ के ग्रामीण और शहरी गरीब दोनों के लिए किया जाता है।
6. 1993-94 में हिमाचल प्रदेश के गरीबी अनुपात का प्रयोग जेम्मू व कश्मीर के लिए किया जाता है।
7. चूंकि गरीबी अनुपात का अनुमान उपयोग व्यय वितरण और गरीबी की रेखा से किया जाता है, अतः यह बेहतर होगा की इन राज्यों की गरीबी की रेखाओं को उन राज्यों के बराबर कर दिया जाए जिनका गरीबी अनुपात अपनाया गया है।

अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा (अव्यक्त) व्यक्तियों के वर्गवार व्यय वितरण और अखिल भारतीय स्तर पर अनुपात से निकाली जाती है। अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी अनुपात राज्यवार गरीबी अनुपात के भारित औसत के रूप में प्राप्त किया जाता है।

विवरण-II

वर्ष 1996-97 हेतु नई सरकारी पद्धति के अनुसार गरीबी रेखाएं

(रु० मासिक प्रति व्यक्ति)

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1. आंध्र प्रदेश	216.65	344.40
2. अरूणाचल प्रदेश	280.85	271.71
3. असम	280.85	271.71
4. बिहार	263.13	305.50
5. गोवा	266.97	419.98
6. गुजरात	254.00	373.16
7. हरियाणा	289.31	337.42
8. हिमाचल प्रदेश	289.31	300.91
9. जम्मू व कश्मीर	258.74	302.58
10. कर्नाटक	255.12	385.40
11. केरल	327.48	372.96
12. मध्य प्रदेश	245.70	364.45
13. महाराष्ट्र	266.97	419.98
14. मणिपुर	280.85	271.71
15. मेघालय	280.85	271.71
16. मिजोरम	280.85	271.71
17. नागालैंड	280.85	271.71
18. उड़ीसा	249.69	287.37
19. पंजाब	289.31	300.91
20. राजस्थान	273.65	356.72
21. सिक्किम	280.85	271.71
22. तमिलनाडु	269.07	381.04
23. त्रिपुरा	280.85	271.71
24. उत्तर प्रदेश	272.53	320.84
25. पश्चिम बंगाल	274.35	313.12
26. अंडमान व निकोबार	269.07	381.04
27. चंडीगढ़	300.91	300.91
28. दादर व नागर हवेली	266.97	419.98
29. दमन व दीयू	266.97	419.98
30. दिल्ली	289.31	404.96
31. लक्षद्वीप	327.48	372.96
32. पांडिचेरी	269.07	381.04
ALL INDIA	266.27	353.44

1. असम की गरीबी रेखा का प्रयोग सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए किया जाता है।
2. तमिलनाडु की गरीबी रेखा का प्रयोग पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया जाता है।
3. केरल की गरीबी रेखा का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया जाता है।
4. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा का प्रयोग गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव के लिए किया जाता है।
5. पंजाब की शहरी गरीबी रेखा का प्रयोग चण्डीगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए किया जाता है।

Implementation of 20 Point Programme

1837. SHRIMATI CHANDRESH KUMARI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some State and Union Territories have achieved their targets while implementing 20 Point Programme to bring development and remove unemployment in their States and Territories;